उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-60/2015/267(2)/41-2015-1 यो0/15 टी0सी0

लखनऊ: दिनांक-20 मार्च,2015

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

वर्ष 2014-15 में जिला योजना के अन्तर्गत पर्यटन विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-22/2015/3189/41-2014-1 यो0/15 दिनॉक 06-02-2015 द्वारा रू0 143.93 लाख तथा शासनादेश संख्या-23/2015/267/41-2015-1यो0/15 टी0सी0 दिनॉक 16-02-2015 द्वारा रू0 195.36 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी।

2. उक्त शासनादेश दिनॉक 06-02-2015 के साथ संलग्न तालिका में क्रमांक 2 एवं 4 पर उल्लिखित योजनाओं की कार्यदायी संस्था उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, गाजीपुर तथा शासनादेश दिनांक 16-2-2015 के साथ संलग्न तालिका में क्रमांक 6,8 एवं 10 पर उल्लिखित योजनाओं की कार्यदायी संस्था उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, गाजीपुर तथा सिंचाई निर्माण खण्ड, वाराणसी को नामित किया गया था।

3- सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा उक्त 05 योजनाओं की कार्यदायी संस्था में परिवर्तन करते हुए इनके स्थान पर कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0] वाराणसी इकाई-2 को नामित किया जाता है। तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(श्याम मोहन तिवारी)

अनुसचिव

<u>संख्या-60/2015/267(3)/41-2015 तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महानिदेशक, पर्यटन उ0प्र0 लखनऊ।

2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी।

4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7

7- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।

8- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)

अनुसचिव।

A.S. UO

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-42/2015/552(2)/41-2015-55 यो0/15

लखनऊ: दिनांक- मार्च,2015

शुद्धि-ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की इकाईयों में पूंजी निवेश हेतु पर्यटक आवास गृह बिठूर के उच्चीकरण हेतु रू0 78.90 लाख, पर्यटक आवास गृह बरेली के उच्चीकरण हेतु रू0 47.50 लाख, पर्यटक आवास गृह मुरादाबाद के उच्चीकरण हेतु रू0 67.45 लाख, पर्यटक आवास गृह बलरामुपर के उच्चीकरण हेतु रू0 64.20 लाख तथा पर्यटक आवास गृह श्रावस्ती के उच्चीकरण/सौन्दर्यीकरण हेतु रू0 51.45 लाख अर्थात कुल रू0 309.50 लाख (रू0 तीन करोड नौ लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-42/2015/552/41-2015-55 यो0/15 दिनॉक 16-03-2015 द्वारा निर्गत की गयी है।

2. उक्त शासनादेश दिनॉक 16-03-2015 में अंकित लेखाशीर्षक में त्रुटिवश "आयोजनागत" मद अंकित नही हो पाया है।

3. अत: शासनादेश संख्या-42/2015/552/41-2015-55 यो0/15 दिनॉक 16-03-2015 में अंकित लेखाशीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-01-पर्यटन अवसंरचना-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकरणों में निवेश-03-उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के अंशकों का क्रय-30-निवेश/ऋण के स्थान पर लेखाशीर्षक-5452-आयोजनागत-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-01-पर्यटन अवसंरचना-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकरणों में निवेश-03-उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के अंशकों का क्रय-30-निवेश/ऋण पढा जाय। सम्बन्धित शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते व उपबन्ध यथावत रहेंगे।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(डा0 शशांक विक्रम)
विशेष सचिव

संख्या-42/2015/552(3)/41-2015 तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महानिदेशक, पर्यटन उ0प्र0 लखनऊ।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
4- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
6- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
7- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 शशांक विक्रम)
विशेष सचिव

A.S. UO

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-40/2015/553(2)/41-2015-52यो0/15

लखनऊ: दिनांक- मार्च,2015

शुद्धि-ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की इकाईयों में पूंजी निवेश हेतु होटल गुलिस्ताँ, फतेहपुर सीकरी के उच्चीकरण हेतु रू0 116.90 लाख, पर्यटक आवास गृह राजा की मण्डी, आगरा के उच्चीकरण हेतु रू0 160.80 लाख एवं होटल वीरांगना, झांसी के उच्चीकरण/सौन्दर्यीकरण हेतु रू0 162.70 लाख अर्थात कुल रू0 440.40 लाख (रू0 चार करोड चालीस लाख चालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-40/2015/553/41-2015-52यो0/15 दिनॉक 16-03-2015 द्वारा निर्गत की गयी है।

2. उक्त शासनादेश दिनॉक 16-03-2015 में अंकित लेखाशीर्षक में त्रुटिवश "आयोजनागत" मद अंकित नही हो पाया है।

3. अत: शासनादेश संख्या-40/2015/553/41-2015-52यो0/15 दिनॉक 16-03-2015 में अंकित लेखाशीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-01-पर्यटन अवसंरचना-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकरणों में निवेश-03-उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के अंशकों का क्रय-30-निवेश/ऋण के स्थान पर लेखाशीर्षक-5452-आयोजनागत-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-01-पर्यटन अवसंरचना-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकरणों में निवेश-03-उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के अंशकों का क्रय-30-निवेश/ऋण पढा जाय। सम्बन्धित शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते व उपबन्ध यथावत रहेंगे।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(डा0 शशांक विक्रम)
विशेष सचिव

संख्या-40/2015/553(3)/41-2015- तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महानिदेशक, पर्यटन उ0प्र0 लखनऊ।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
4- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
6- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
7- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 शशांक विक्रम)
विशेष सचिव

A.S. UO

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-41/2015/510(2)/41-2015-46यो0/15

लखनऊ: दिनांक- मार्च,2015

शुद्धि-ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की इकाईयों में पूंजी निवेश हेतु राही पर्यटक आवास गृह रायबरेली के उच्चीकरण हेतु रू0 106.10 लाख तथा राही पर्यटक आवास गृह सारनाथ के उच्चीकरण एवं सौन्दर्यीकरण के लिए रू0 76.30 लाख एवं राही पर्यटक आवास गृह अयोध्या के उच्चीकरण/सौन्दर्यीकरण हेतु रू0 95.60 लाख अर्थात कुल रू0 278.00 लाख (रू0 दो करोड अठहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-41/2015/510/41-2015-46यो0/15 दिनॉक 16-03-2015 द्वारा निर्गत की गयी है।

2. उक्त शासनादेश दिनॉक 16-03-2015 में अंकित लेखाशीर्षक में त्रुटिवश "आयोजनागत" मद अंकित नही हो पाया है।

3. अत: शासनादेश संख्या-41/2015/510/41-2015-46यो0/15 दिनॉक 16-03-2015 में अंकित लेखाशीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-01-पर्यटन अवसंरचना-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकरणों में निवेश-03-उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के अंशकों का क्रय-30-निवेश/ऋण के स्थान पर लेखाशीर्षक-5452-आयोजनागत-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-01-पर्यटन अवसंरचना-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकरणों में निवेश-03-उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के अंशकों का क्रय-30-निवेश/ऋण पढा जाय। सम्बन्धित शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते व उपबन्ध यथावत रहेंगे।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(डा0 शशांक विक्रम)
विशेष सचिव

संख्या-41/2015/510(3)/41-2015 तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महानिदेशक, पर्यटन उ0प्र0 लखनऊ।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
4- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
6- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
7- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 शशांक विक्रम)
विशेष सचिव

A.S. UO

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-39/2015/509(2)/41-2015-45यो0/15

लखनऊ: दिनांक- मार्च,2015

शुद्धि-ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की इकाईयों में पूंजी निवेश हेतु जनपद लखनऊ स्थित होटल गोमती के उच्चीकरण हेतु रू0 344.10 लाख तथा पर्यटक आवास गृह इलावर्त, इलाहाबाद के कक्षों की फर्निसिंग एवं पेंटिंग कार्य हेतु रू0 28.00 लाख अर्थात कुल रू0 372.10 लाख (रू0 तीन करोड बहत्तर लाख दस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-39/2015/509/41-2015-45यो0/15 दिनॉक 16-03-2015 द्वारा निर्गत की गयी है।

2. उक्त शासनादेश दिनॉक 16-03-2015 में अंकित लेखाशीर्षक में त्रुटिवश "आयोजनागत" मद अंकित नही हो पाया है।

3. अत: शासनादेश संख्या-39/2015/509/41-2015-45यो0/15 दिनॉक 16-03-2015 में अंकित लेखाशीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-01-पर्यटन अवसंरचना-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकरणों में निवेश-03-उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के अंशकों का क्रय-30-निवेश/ऋण के स्थान पर लेखाशीर्षक-5452-आयोजनागत-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-01-पर्यटन अवसंरचना-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकरणों में निवेश-03-उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के अंशकों का क्रय-30-निवेश/ऋण पढा जाय। सम्बन्धित शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते व उपबन्ध यथावत रहेंगे।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(डा0 शशांक विक्रम)
विशेष सचिव

संख्या-39/2015/509(3)/41-2015तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महानिदेशक, पर्यटन उ0प्र0 लखनऊ।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
4- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
6- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
7- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 शशांक विक्रम)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in